TIMES OF INDIA, Online, 3.4.2024
Page No. 0, Size:(0)cms X (0)cms.

Cooler local travels are prefered: within a day nearly 6000 passes were issued, on Western and Central Railways, also increase in ticket sales is seen

https://timesofindia.indiatimes.com/city/kochi/collector-orders-retrofitting-of-towers-b-c/articleshow/108988151.cms

Kochi: Ernakulam district collector NSK Umesh has issued an order to do retrofitting on Chander Kunj Army Towers, situated in Silver Sand Island, Vytilla. The retrofitting should be done after evicting residents of the B and C towers.

The collector's recent order is based on the report prepared after joint inspection by engineers from GCDA, PWD buildings division, Tripunithura municipality and joint director of PWD regional design. The report raised concern about the precarious condition of the building and recommended evacuation of residents from B and C towers. The inspection was conducted following a complaint filed by colonel (retd) Ciby George, a resident of the apartment complex.

The collector has directed that the residents from the building should be evacuated under the supervision of Army Welfare Housing Organisation (AWHO), which should also give accommodation facilities for residents at its expense. The retrofitting should be completed in 10 months and the apartments should be handed over to the residents after making them inhabitable.

An expert committee will visit the building after retrofitting.TNN

NHRC seeks report from Dhenkanal collector regarding denial of houses to poor villagersNHRC investigates housing denial in Naradmunda village, Dhenkanal. Tripathy accuses scheme failure. NHRC demands compliance, warns officials. ST and SC families in various villages face deprivation of essentials, seek NHRC intervention.108883842

Woraiyur residents hoist black flags to protest Trichy Corporations move to build compound wall for playgroundWoraiyur residents protest Trichy Corporation's compound wall plan for a public playground, fearing restricted access. Officials stress wall necessity to prevent cattle intrusion and safeguard infrastructure, while residents advocate for better coordination and open access.108876243

Residents gasp for clean air as fire at dumpsite rages onNoida residents, including Devbala Verma, face health risks from a nearby fire. Authorities criticized for negligence in preventing repeat incidents. Environmental activists call for urgent preventive measures and permanent fire safety arrangements in the city.108831077

SIASAT, Online, 3.4.2024
Page No. 0, Size:(0)cms X (0)cms.

NHRC notice to Andhra govt, DGP over student suicide in Visakhapatnam

https://www.siasat.com/nhrc-notice-to-andhra-govt-dgp-over-student-suicide-in-visakhapatnam-3002954/

New Delhi: The NHRC has issued a notice to the Andhra Pradesh government and the state's police chief over a college student committing suicide allegedly due to sexual harassment by a faculty member, officials said on Tuesday.

The National Human Rights Commission (NHRC) in a statement has observed that apparently, the "negligent and reckless attitude of the authorities" of the institution has led to this incident.

The Andhra Pradesh Police arrested five people in Visakhapatnam on Tuesday in connection with the death by suicide of the 17-year-old girl, who made sexual harassment allegations against her college officials.

She ended her life by jumping to death from a building in the intervening night of March 28 and 29, alleging that some unidentified persons had threatened to post her objectionable pictures on social media.

The NHRC has taken suo motu cognisance of a media report that "unable to bear the sexual harassment by a faculty member, a first-year diploma student committed suicide by jumping from the fourth floor of Chaitanya Engineering College in Kommadi area, Visakhapatnam district, Andhra Pradesh on March 28", it said.

Reportedly, in a message to her father on his mobile-phone, she had said alleged that sexual harassment of girl students is "common in the college and the management was not able to stop it", the statement said.

The commission has observed that the content of the news report, if true, raise a serious issue of violation of human rights and it is a matter of concern.

The NHRC said that accordingly, it has issued notices to the chief secretary and the director general of police of Andhra Pradesh, seeking a detailed report in four weeks. It should also include the status of the investigation, the rights panel said.

Also, allegations of sexual harassment of other students in the college, require to be "investigated thoroughly" so that the perpetrators are booked and such incidents of violation of the right to life and dignity do not recur, it said.

IPS officer Bhatnagar gets Apex Scale

https://www.indianmandarins.com/news/ips-officer-bhatnagar-gets-apex-scale-/28654

New Delhi (02.04.2024): Ajay Bhatnagar (IPS: 1989: JH), the incumbent Director General (Investigation) in the National Human Rights Commission, was on Tuesday granted Apex pay scale (Level-17 in the pay matrix). Bhatnagar, then Special Director in CBI, was laterally shifted and appointed as DG (Investigation) NHRC in February this year up to 30.11.2024 i.e. date of his superannuation.

ONE INDIA, Online, 3.4.2024
Page No. 0, Size:(0)cms X (0)cms.

NHRC Issues Notice to Andhra Pradesh Govt Following Student Suicide

https://www.oneindia.com/india/nhrc-issues-notice-andhra-govt-student-suicide-visakhapatnam-011-3790221.html

New Delhi, Apr 2 - The National Human Rights Commission (NHRC) has taken a significant step by issuing a notice to the Andhra Pradesh government and the state's police chief following a tragic incident where a college student took her own life. The student's drastic action was allegedly motivated by sexual harassment she faced from a faculty member, according to officials. This incident has sparked a conversation about the safety and well-being of students in educational institutions.

The NHRC, in its statement, highlighted that the apparent negligent and reckless attitude of the college authorities might have contributed to this unfortunate event. The commission's concern was raised after it came to light that the 17-year-old girl, a first-year diploma student, ended her life by jumping from a building. This occurred after she allegedly received threats over social media regarding objectionable pictures of her.

Following this incident, the Andhra Pradesh Police took prompt action by arresting five individuals in Visakhapatnam. These arrests were connected to the allegations made by the deceased student against her college officials. The NHRC's involvement came after it took suo motu cognisance of a media report detailing the student's ordeal. According to this report, the student had communicated to her father through a message that sexual harassment was a common issue within the college, and the management had failed to address it effectively.

The NHRC's statement further elaborated on the gravity of the situation, stating that if the allegations mentioned in the news report were accurate, they would constitute a severe violation of human rights. This situation not only raises concerns about the violation of the right to life and dignity but also calls for an urgent need to ensure such incidents do not recur.

In response to these alarming developments, the NHRC has demanded a detailed report from both the chief secretary and the director general of police of Andhra Pradesh within four weeks. This report is expected to shed light on the status of the investigation into this matter. Additionally, the commission has emphasized the importance of thoroughly investigating allegations of sexual harassment against other students in the college. The objective is clear: to bring the perpetrators to justice and prevent any future violations of students' rights.

This incident serves as a stark reminder of the challenges students face regarding their safety and dignity within educational institutions. It underscores the need for authorities at all levels to take decisive actions to protect students and ensure a safe learning environment for all.

NHRC: आंध्र सरकार, डीजीपी को एनएचआरसी का नोटिस, विशाखापत्तनम में छात्र की आत्महत्या से जुड़ा है मामला

https://www.amarujala.com/india-news/nhrc-notice-to-andhra-govt-dgp-over-student-suicide-in-visakhapatnam-2024-04-03

आंध्र प्रदेश पुलिस ने 17 वर्षीय लड़की की आत्महत्या मामले में मंगलवार को विशाखापत्तनम में पांच लोगों को गिरफ्तार किया। उसने 28 और 29 मार्च की मध्यरात्रि को एक इमारत से कूदकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली थी।

आंध्र प्रदेश सरकार और राज्य के पुलिस प्रमुख को एनएचआरसी ने नोटिस जारी किया है। मामला एक कॉलेज छात्रा की आत्महत्या से जुड़ा है। आरोप है कि एक संकाय सदस्य ने मृतका के साथ यौन उत्पीड़न किया, जिसके कारण उसने अपनी जान दी थी।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने मंगलवार को एक बयान में कहा है कि जाहिर तौर पर संस्था के अधिकारियों के लापरवाह रवैये के कारण यह घटना हुई है।

आंध्र प्रदेश पुलिस ने 17 वर्षीय लड़की की आत्महत्या मामले में मंगलवार को विशाखापत्तनम में पांच लोगों को गिरफ्तार किया। उसने 28 और 29 मार्च की मध्यरात्रि को एक इमारत से कूदकर अपनी जीवन खत्म कर लिया था। छात्रा ने आरोप लगाया था कि कुछ अज्ञात व्यक्तियों ने उसकी आपत्तिजनक तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट करने की धमकी दी थी।

बता दें कि एनएचआरसी ने एक मीडिया रिपोर्ट के जरिए स्वत: संज्ञान लिया था। कथित तौर पर, छात्रा ने अपने पिता को मोबाइल फोन पर एक संदेश में कहा था कि कॉलेज में छात्राओं का यौन उत्पीड़न आम बात है और प्रबंधन इसे रोकने में सक्षम नहीं है। आयोग ने पाया है कि समाचार रिपोर्ट की सामग्री, यदि सच है, तो मानवाधिकारों के उल्लंघन का गंभीर मुद्दा उठता है और यह चिंता का विषय है।

नोटिस जारी कर मांगी विस्तृत रिपोर्ट

एनएचआरसी ने कहा कि तदनुसार, उसने आंध्र प्रदेश के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। अधिकारी पैनल ने कहा, इसमें जांच की स्थिति भी शामिल होनी चाहिए।

साथ ही, कॉलेज में अन्य छात्रों के यौन उत्पीड़न के आरोपों की "पूरी तरह से जांच" करने की आवश्यकता है ताकि अपराधियों पर मामला दर्ज किया जा सके और जीवन और गरिमा के अधिकार के उल्लंघन की ऐसी घटनाएं दोबारा न हों।

UNI, Online, 3.4.2024
Page No. 0, Size:(0)cms X (0)cms.

NHRC issues notice to Andhra Pradesh government on girl’s suicide after sexual assault

https://www.uniindia.com/nhrc-issues-notice-to-andhra-pradesh-government-on-girl-s-suicide-after-sexual-assault/india/news/3172522.html

New Delhi, Apr 2 (UNI) The National Human Rights Commission (NHRC) on Tuesday sought a report from the Andhra Pradesh Government and Police over the suicide of a girl student following sexual harassment by one of the faculty members of a college in Vishakhapatnam. The commission, in notices to the Chief Secretary and the Director General of the Police of Andhra Pradesh, asked for a detailed report on the matter within four weeks.

The report should include the status of the investigation, it said. The authorities were also asked to investigate the other alleged cases of sexual harassment in the college. The commission has taken suo motu cognizance of a media report that a first-year Diploma student committed suicide by jumping down from the 4th floor of Chaitanya Engineering College in Kommadi area, Visakhapatnam District, Andhra Pradesh on March 28 due to being unable to bear the sexual harassment by a faculty member. Reportedly, in a message to her father on his mobile phone, she said that sexual harassment of girl students is common in the college and the management was not able to stop it, the NHRC said. The Commission has further observed that apparently, the negligent and reckless attitude of the authorities in the institution has led to this incident.

This, as well as the allegations of sexual harassment of other students in the college, require to be investigated thoroughly so that the perpetrators are booked and such incidents of violation of the right to life and dignity do not recur. According to the media report on March 30, the victim was subjected to sexual harassment by one of the faculty members of the college who had clicked her compromising pictures and was blackmailing her that he would upload these on social media.

FREE PRESS JOURNAL, Online, 3.4.2024
Page No. 0, Size:(0)cms X (0)cms.

NHRC Takes Suo Motu Cognizance Of Student s Suicide Over Alleged Sexual Harassment By Faculty In Vizag College

https://www.freepressjournal.in/india/nhrc-takes-suo-motu-cognizance-of-students-suicide-over-alleged-sexual-harassment-by-faculty-in-vizag-college

Reportedly, in a message to her father on his mobile phone, she said that sexual harassment of girl students is common in the college and the management was not able to stop it.

The National Human Rights Commission, NHRC, India has taken suo motu cognizance of a media report that unable to bear the sexual harassment by a faculty member, a first-year Diploma student committed suicide by jumping down from the 4th floor of an Engineering College in Kommadi area, Visakhapatnam District, Andhra Pradesh on 28th March, 2024.

Reportedly, in a message to her father on his mobile phone, she said that sexual harassment of girl students is common in the college and the management was not able to stop it.

The Commission has observed that the contents of the news report, if true, raise a serious issue of violation of human rights, which is a matter of concern.

Accordingly, it has issued notices to the Chief Secretary and the Director General of Police, Government of Andhra Pradesh calling for a detailed report in the matter within four weeks. It should also include the status of the investigation.

The Commission has further observed that apparently, the negligent and reckless attitude of the authorities in the institution has led to this incident. This, as well as the allegations of sexual harassment of other students in the college, require to be investigated thoroughly so that the perpetrators are booked and such incidents of violation of the right to life and dignity do not recur.

According to the media report, carried on 30th March, 2024, the victim was subjected to sexual harassment by one of the faculty members of the college who had clicked her compromising pictures and was blackmailing her that he would upload these on social media.

PRABHAT KHABAR, Online, 3.4.2024
Page No. 0, Size:(0)cms X (0)cms.

सब इंस्पेक्टर मीरा सिंह के खिलाफ एनएचआरसी ने मांगी रिपोर्ट

https://www.prabhatkhabar.com/state/jharkhand/ranchi/nhrc-seeks-report-against-sub-inspector-meera-singh

सब इंस्पेक्टर मीरा सिंह द्वारा विकास कुमार को थर्ड डिग्री टॉर्चर देने के मामले में हुई कार्रवाई पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने रांची एसएसपी से नौ मई 2024 तक पूरी रिपोर्ट मांगी है.

रांची. सब इंस्पेक्टर मीरा सिंह द्वारा विकास कुमार को थर्ड डिग्री टॉर्चर देने के मामले में हुई कार्रवाई पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने रांची एसएसपी से नौ मई 2024 तक पूरी रिपोर्ट मांगी है.

रिपोर्ट भेजने के लिए आयोग की ओर से रांची एसएसपी को ईमेल भेजा गया है. एसएसपी को आयोग ने लिखा है कि पूर्व में रांची एसएसपी द्वारा एक रिपोर्ट भेजकर यह बताया गया था कि धुर्वा थाना में दर्ज मामले में अनुसंधान के दौरान यह पाया गया था कि विकास कुमार द्वारा लगाया गया मारपीट का आरोप सही है.

इसके आधार पर तत्कालीन तुपुदाना ओपी प्रभारी मीरा सिंह और ओपी के मुंशी सुनील सिंह के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू की गयी है. लेकिन विभागीय कार्रवाई का क्या परिणाम आया, इस पर आयोग की ओर से फिर से रांची एसएसपी से रिपोर्ट मांगी गयी थी.

एसएसपी ने आयोग को रिपोर्ट भेजकर बताया कि दर्ज केस का अनुसंधान अभी लंबित है. वहीं विभागीय कार्रवाई के लिए विभागीय संचालन पदाधिकारी को कुछ निर्देश दिये गये हैं. उल्लेखनीय है कि खूंटी जिला में पोस्टिंग के समय मीरा सिंह को एसीबी रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज चुकी है. वहीं हाल में इडी की छापेमारी के बाद मीरा सिंह को तुपुदाना ओपी प्रभारी के पद से हटाकर पुलिस लाइन भेज दिया गया है. जबकि सुनील सिंह को मुंशी के पद से हटाते हुए पुलिस लाइन में बुलाया गया है

DAINIK BHASKAR, Ranchi, 3.4.2024
Page No. 2, Size:(6.44)cms X (16.44)cms.

एनएचआरसी ने तुपुदाना में युवक से मारपीट मामले में एसएसपी से फिर मांगी रिपोर्ट

क्राइम रिपोर्टर | रांची

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने रांची एसएसपी को पत्र भेजकर चतरा के युवक विकास सिन्हा के साथ बर्बरतापूर्ण पिटाई मामले में अब तक हुई कार्रवाई के संबंध में एक बार फिर पूरी रिपोर्ट मांगी है। आयोग ने पूछा है कि तुपुदाना ओपी की तत्कालीन प्रभारी दारोगा मीरा सिंह व एएसआई सुनील सिंह के विरुद्ध लगे आरोपों पर अब तक क्या कार्रवाई हुई है। आयोग ने इस मामले में नौ मई तक रिपोर्ट उपलब्ध कराने के लिए कहा है। इससे पहले भी आयोग ने एसएसपी रांची से इस मामले में रिपोर्ट मांगी थी। गत 11 मार्च को भेजी गई रिपोर्ट में एसएसपी ने चतरा के युवक विकास सिन्हा को चोरी के संदेह में उठाने व बर्बरतापूर्वक पीटे जाने के मामले में बताया था कि पूरे मामले की जांच अभी लंबित है।

JAGRAN, Online, 3.4.2024
Page No. 0, Size:(0)cms X (0)cms.

एक दुर्दांत अपराधी था मुख्तार अंसारी; पूर्व डीजीपी ने माफिया को 'राबिनहुड' कहे जाने पर जताई कड़ी आपत्ति

https://www.jagran.com/uttar-pradesh/lucknow-city-former-dgp-vikram-singh-said-on-mukhtar-ansari-23688465.html

Former DGP Vikram Singh Said On Mukhtar Ansari मुख्तार समेत तीनों के विरुद्ध पोटा अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई की गई। तत्कालीन सरकार ने न केवल मुख्तार पर लगा पोटा वापस लिया बल्कि शैलेंद्र सिंह को इतना प्रताड़ित किया कि उन्होंने 11 फरवरी 2004 को त्यागपत्र दे दिया। संदेश स्पष्ट था कि मुख्तार की तरफ कोई आंख उठाने की हिम्मत न करे।

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। माफिया मुख्तार अंसारी एक दुर्दांत अपराधी था। पूर्व डीजीपी डा.विक्रम सिंह मुख्तार के लिए 'गरीबों का मसीहा' व 'राबिनहुड' कहे जाने पर कड़ी आपत्ति जताते हैं। कहते हैं कि मुख्तार अंसारी की हार्टअटैक से बांदा मेडिकल कालेज में मृत्यु हो गई। उसके परिवार वालों का

आरोप है कि मुख्तार को स्लो प्वाइजन दिया गया था, जिससे मौत हुई। इसकी न्यायिक जांच प्रारंभ हो चुकी है। **राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग** और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुरूप जांच हो रही है। ऐसे में मुख्तार को अलग-अलग अलंकरणों से सुशोभित किया जाना, कतई उचित नहीं।

राजनीति, तुष्टीकरण का निचले स्तर तक जा पहुंचा

चिंता का विषय तो यह है कि एक घोषित अपराधी व गैंगस्टर मुख्तार के अंतिम संस्कार में देशभर के राजनेता इकट्ठा हुए और उसको राबिनहुड, गरीबों का हमदर्द व ऐसी अन्य उपाधियों से नवाजा गया। यह दिखाता है कि राजनीति, तुष्टीकरण किस निचले स्तर तक तक जा चुका है।

इनमें से एक ने भी भारत के लोकप्रिय पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न एपीजे अब्दुल कलाम के अंतिम संस्कार में उनकी प्रतिभा के लिए दो शब्द तक नहीं कहे और न ही श्रद्धांजलि दी। स्पष्ट है कि भारत रत्न एपीजे अब्दुल कलाम के जनाजे में जाने में कोई राजनीतिक लाभ नहीं था, बल्कि मुख्तार के जनाजे में शिरकत करने में राजनीतिक लाभ और स्वार्थ सिद्धि दृष्टिगोचर है। ऐसे लोगों को अंतर मंथन की आवश्यकता है।

धनबल और बाहुबल से कानून से बचता रहा

लोगों को भी ऐसे तत्वों को चिन्हित कर उनके बारे में निर्णय करना होगा। सच तो यह है कि मुख्तार अपने धनबल और बाहुबल के चलते कानून की गिरफ्त से बचता रहा। उसके विरुद्ध 66 जघन्य अपराध पंजीकृत थे। मुख्तार के विरुद्ध जब पहला मुकदमा दर्ज हुआ, तब उसकी उम्र 15 वर्ष थी। वह एक शातिर अपराधी बना और बाहुबल के बलबूते मुख्तार पांच बार विधायक बना। तीन बार जेल में रहते हुए चुनाव में जीत हासिल की।

पुलिस अधिकारी को देना पड़ा इस्तीफा

राजनीतिक संरक्षण ने ही उसे एक संगठित अपराधी और माफिया बनाया। वर्ष 2004 में ईमानदार पुलिस उपाधीक्षक शैलेंद्र सिंह को मुख्तार से प्रताड़ित होकर ही त्यागपत्र देना पड़ा था। 25 जनवरी, 2004 को एसटीएफ के पुलिस उपाधीक्षक को पता चला था कि मुख्तार लाइट मशीन गन खरीदने की डील कर रहा है, जिससे वह कृष्णानंद राय की हत्या करना चाहता था।

सुरक्षा कारणों से कृष्णानंद राय बुलेटप्रूफ गाड़ी से चलते थे, जिसे लाइट मशीन गन ही भेद सकती थी। मुख्तार ने इस गन का सौदा एक करोड़ रुपये में तय किया था। शैलेंद्र सिंह ने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को इसकी जानकारी दी, तो पुलिस ने मुख्तार से डील कर रहे बाबूलाल यादव व मुंदर यादव दोनों को गिरफ्तार कर लिया था।

वर्तमान शासनकाल में पहली बार हुई सजा

पूर्व डीजीपी कहते हैं कि वर्तमान योगी सरकार आने के बाद जिस तरह प्रदेश के चिन्हित माफिया पर नकेल कसी गई, ठीक उसी तरह उनमें शामिल मुख्तार पर भी शिकंजा कसा। उसकी 586 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की गईं। आठ मामलों में मुख्तार को न्यायालय द्वारा सजा भी सुनाई गई, जिनमें दो मामलों में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। यह संतोष का विषय है।

यह सफल पैरवी का ही परिणाम है कि वर्तमान में कई कुख्यात अपराधियों को कोर्ट द्वारा सजा मिल रही है। कुछ लोग निजी स्वार्थ के चलते यह आरोप लगाते हैं कि केवल जाति विशेष के अपराधियों पर कार्रवाई हो रही है। वास्तविकता यह है कि बिना जाति, धर्म, संप्रदाय देखे कानून की परिधि में कार्रवाई हुई। जिसने कानून की लक्ष्मण रेखा पार की उसके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत चल-अचल संपत्ति कुर्क करने के साथ ही प्रभावी अभियोजन के माध्यम से दंडात्मक कार्यवाही भी सुनिश्चित कराई गई।

घर से लेकर जेल तक लगाता था दरबार

पूर्व डीजीपी कहते हैं कि मुख्तार जहां रहता था, उसे फाटक के नाम से जाना जाता था, जहां अपराधियों का जमावड़ा रहता था। गाजीपुर जेल में बंद रहने के दौरान मुख्तार को पूरा राजनीतिक संरक्षण था। जेल की बैरक नंबर 10 में मुख्तार पूरी सुविधा के साथ रहता था। जेल में एक तालाब खोदा गया था, जिससे उस तक ताजी मछली पहुंचती रहे। बैडमिंटन कोर्ट की भी व्यवस्था की गई थी। प्रदेश में सत्ता परिवर्तन होने पर मुख्तार ने पंजाब में एक झूठी एफआइआर दर्ज करवाकर बड़ा खेल किया। इसके बाद पंजाब की रोपड़ जेल उसकी आरामगाह बन गई थी।

दारोगा मीरा सिंह व ASI सुनील सिंह के खिलाफ क्या जांच हुई? NHRC ने SSP से मांगी रिपोर्ट, यह है मामला

https://www.jagran.com/jharkhand/ranchi-national-human-rights-commission-has-sought-a-report-from-ranchi-ssp-in-the-case-of-assault-on-chatra-youth-vikas-sinha-by-inspector-meera-singh-and-asi-23688628.html

ईडी ने कल यानी कि बीते मंगलवार को दारोगा मीरा सिंह से लंबी पूछताछ की। 21 मार्च को उनके व उनके करीबी जमीन कारोबारी सह कांग्रेस नेता लाल मोहित नाथ शाहदेव के ठिकानों पर छापामारी हुई थी। 12.50 लाख रुपये नकद व आठ मोबाइल तथा कुछ अन्य दस्तावेज मिले थे। इसके अलावा चतरा के युवक विकास सिन्हा से बर्बरता पूर्वक पिटाई मामले में भी रिपोर्ट मांगा गया है।

राज्य ब्यूरो, रांची। **राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग** ने रांची के एसएसपी को पत्र भेजकर चतरा के युवक विकास सिन्हा से बर्बरता पूर्वक पिटाई मामले में अब तक हुई कार्रवाई की पूरी रिपोर्ट मांगी है। आयोग ने जानना चाहा है कि तुपुदाना ओपी की तत्कालीन प्रभारी दारोगा मीरा सिंह व एएसआइ सुनील सिंह के विरुद्ध लगे आरोपों पर अब तक क्या कार्रवाई हुई है।

एसएसपी से पहले भी रिपोर्ट मांग चुका है आयोग

आयोग ने इस मामले में नौ मई तक रिपोर्ट तलब की है। पूर्व में भी आयोग ने एसएसपी से पूरे मामले में रिपोर्ट तलब की थी। गत 11 मार्च को भेजी गई रिपोर्ट में एसएसपी ने चतरा के युवक विकास सिन्हा को चोरी के संदेह में उठाने व बर्बरता पूर्वक पिटाई मामले में बताया था कि पूरे मामले की जांच अभी लंबित है।

यह भी बताया था कि दारोगा मीरा सिंह व एएसआइ सुनील सिंह के विरुद्ध वरीय पुलिस पदाधिकारी से जांच कराई गई थी, जिसमें दोनों दोषी पाए गए थे। इसके बाद ही दोनों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित किया गया था, जो अब तक लंबित है। एसएसपी के इस जवाब पर अब आयोग ने आगे की जानकारी मांगी है।

विकास सिन्हा का नहीं लिया ऑनलाइन FIR

रांची के एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने गत 11 मार्च को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को जो जवाब भेजा है, उसमें धुर्वा थाना कांड संख्या 16/2023 का जिक्र किया है। यह केस चोरी का है, जिसमें नम्रता गुप्ता नामक महिला के घर में चोरी हुई थी।

इसी केस में तुपुदाना की तत्कालीन ओपी प्रभारी मीरा सिंह व एएसआइ सुनील सिंह पर विकास सिन्हा नामक एक गार्ड को उठाकर उसके साथ बर्बरता पूर्वक पिटाई का आरोप लगा था।

मारपीट में जख्मी विकास सिन्हा ने दारोगा मीरा सिंह व एएसआइ सुनील सिंह के विरुद्ध ऑनलाइन एफआइआर किया था, जिस पर प्राथमिकी ही दर्ज नहीं की गई।

विकास सिन्हा के ऑनलाइन एफआइआर में सिर्फ प्रारंभिक जांच कराई गई थी। आयोग को भेजी गई रिपोर्ट में विकास सिन्हा के ऑनलाइन एफआइआर को छुपाया गया है।

मोबाइल से मिले डिजिटल साक्ष्य

दारोगा मीरा सिंह से ईडी ने मोबाइल से मिले डिजिटल साक्ष्य के आधार पर मंगलवार को लंबी पूछताछ की है। उनके व उनके करीबी जमीन कारोबारी सह कांग्रेस नेता लाल मोहित नाथ शाहदेव के ठिकानों पर 21 मार्च को छापामारी हुई थी।

इस छापामारी में ईडी को 12.50 लाख रुपये नकद व आठ मोबाइल तथा कुछ अन्य दस्तावेज मिले थे। मोबाइल में मिले वाट्सएप चैट व डिजिटल साक्ष्य में बालू तस्करी से संबंधित कई साक्ष्य मिले थे। ईडी ने वाट्सएप चैट के आधार पर भी लंबी पूछताछ की है।

ईडी ने अवैध कमाई का हिस्सा कहां-कहां पहुंचा आदि से संबंधित तथ्यों पर भी जानकारी ली है। ईडी ने यह जानना चाहा है कि तुपुदाना ओपी क्षेत्र में कहां-कहां अवैध तरीके से जमीन की घेराबंदी कराई गई है, किसका सहयोग मिला। ईडी ने दारोगा मीरा सिंह से आय-व्यय व चल-अचल संपत्ति का ब्योरा भी मांगा है।

PRABHAT KHABAR, Online, 3.4.2024
Page No. 0, Size:(0)cms X (0)cms.

Andhra Pradesh पुलिस ने नाबालिग छात्रा की आत्महत्या के मामले में पांच लोगों को गिरफ्तार किया

https://www.prabhasakshi.com/national/andhra-pradesh-police-arrests-five-people-in-connection-with-the-suicide-of-a-minor-student

पुलिस के अनुसार, छात्रा ने 28 और 29 मार्च की दरमियानी रात एक इमारत से कूदकर आत्महत्या कर ली थी। उसने आरोप लगाया था कि कुछ अज्ञात व्यक्तियों ने उसकी आपत्तिजनक तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी दी थी।

आंध्र प्रदेश पुलिस ने एक नाबालिग छात्रा के आत्महत्या करने के सिलसिले में मंगलवार को पांच लोगों को गिरफ्तार किया। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 17 वर्षीय छात्रा ने अपने कॉलेज के अधिकारियों पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था।

पुलिस के अनुसार, छात्रा ने 28 और 29 मार्च की दरमियानी रात एक इमारत से कूदकर आत्महत्या कर ली थी। उसने आरोप लगाया था कि कुछ अज्ञात व्यक्तियों ने उसकी आपत्तिजनक तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी दी थी।

इस बीच, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने घटना का स्वत: संज्ञान लेते हुए आंध्र प्रदेश के मुख्य सचिव और राज्य के पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी किया है। आयोग ने एक बयान में कहा कि जाहिर तौर पर, संस्थान के ''अधिकारियों के लापरवाह रवैये'' के कारण यह घटना हुई।

पुलिस ने शहर के कोमाडी चैतन्य पॉलिटेक्निक कॉलेज से पांच लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें रसायन विज्ञान प्रयोगशाला तकनीशियन के एन. शंकर राव, कॉलेज प्रबंधन के प्रमुख शंकर वर्मा, कॉलेज के प्राचार्य जी भानु प्रवीण, हॉस्टल वार्डन वी.उषा रानी और उसके पति वी.प्रदीप कुमार शामिल हैं।

विशाखापत्तनम उत्तर के सहायक पुलिस आयुक्त (एसीपी) बी.सुनील ने पीटीआई-को बताया कि प्रारंभिक जांच में पता चला है राव ने कथित तौर पर छात्रा का यौन उत्पीड़न किया था।

sexually harassed student यौन उत्पीड़ित छात्रा के आत्महत्या मामले पर आंध्र सरकार को नोटिस

https://aajkijandhara.com/sexually-harassed-student/

sexually harassed student नयी दिल्ली ! राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने विशाखापत्तनम में कॉलेज के एक संकाय सदस्य द्वारा छात्रा का यौन उत्पीड़न करने और उसके बाद छात्रा की आत्महत्या पर मंगलवार को आंध्र प्रदेश सरकार और पुलिस को नोटिस जारी कर रिपोर्ट मांगी।

आयोग ने आंध्र प्रदेश के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को नोटिस में चार सप्ताह के भीतर मामले पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। नोटिस में स्पष्ट कहा गया है कि रिपोर्ट में जांच की स्थिति शामिल होनी चाहिये। इसके अलावा अधिकारियों को कॉलेज में यौन उत्पीड़न के अन्य कथित मामलों की भी जांच करने का भी आदेश दिया गया है।

sexually harassed student आयोग ने मीडिया में आयी रिपोर्ट पर स्वत: संज्ञान लिया है कि 28 मार्च को राज्य के विशाखापत्तनम जिले के कोम्माडी क्षेत्र में चैतन्य इंजीनियरिंग कॉलेज की एक प्रथम वर्ष के डिप्लोमा छात्रा ने संकाय सदस्य द्वारा यौन उत्पीड़न करने से तंग आकर चौथी मंजिल से नीचे कूदकर आत्महत्या कर ली।

आयोग ने मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक से इस मामले को लेकर पूछा है कि इस मामले के जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जा रही है

आयोग ने कहा कि पीड़िता ने अपने पिता को अपने मोबाइल फोन पर एक संदेश में कहा कि कॉलेज में छात्राओं का यौन उत्पीड़न होना आम बात हो गयी है और प्रबंधन इसे रोकने में पूरी तरह से नाकाम रहा है। आयोग ने कहा है कि जाहिर तौर पर संस्थान में अधिकारियों के लापरवाही के कारण इस तरह की घटना होती है।

आयोग ने कॉलेज में अन्य छात्रों के साथ यौन उत्पीड़न के आरोपों की गहन जांच-पड़ताल करने पर जोर दिया है ताकि अपराधियों के खिलाफ मामला दर्ज किया जा सके और आग इस तरह की घटनाओं की पुनरावृति न हो।

sexually harassed student गौरतलब है कि 30 मार्च को मीडिया रिपोर्ट के अनुसार पीड़िता को कॉलेज के एक संकाय सदस्य का यौन उत्पीड़न का शिकार होना पड़ा। आरोपी ने पीड़िता की आपत्तिजनक तस्वीरें खींची थीं और उसे ब्लैकमेल कर रहा था। वह पीड़िता को अपने मन माफिक न चलने पर तस्वीरों को सोशल मीडिया पर अपलोड करने की धमकी देता था।